अध्याय – 1

सेवा की सामान्य शर्तें

(GENERAL CONDITIONS OS SERVICE)

1. संपूर्ण समय शासन के अधीन

जब तक किसी **प्रकरण** में अन्यथा उपबंधित न हो, शासकीय सेवक का संपूर्ण समय शासन के अधीन है जो उसे भुगतान करता है । सक्षम प्राधिकारी शासकीय सेवक को बगैर अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए किसी भी प्रकार से नियोजित कर सकता है।

[मूल नियम 11]

2. धारणाधिकर (Lien)

जब किसी शासकीय सेवक को किसी स्थाई पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए तब ही वह उस पद पर धारणाधिकार (Lien) अर्जित करेगा और किसी अन्य पद पर पूर्व अर्जित उसका धारणाधिकार है तो वह समाप्त माना जायेगा ।

[मूल नियम 12– ए]

3. धारणाधिकार का प्रतिधारण (Retention of Line)

(1) जब तक वह उस पद पर कार्यरत रहे ;

(2) विदेश सेवा के दौरान या अस्थाई पद पर नियुक्त होने की अवधि तक या किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रहने के दौरान,

(3) अन्य पद पर स्थानान्तरण होने पर कार्यग्रहण अवधि के दौरान । यदि उसका स्थानान्तरण मौलिक रूप से निचले पद पर किया जाता है तो कार्य मुक्त होने के दिनांक से ही उसका धारणाधिकार निचले पद पर स्थानान्तरित हो जायेगा;

(4) अनिवार्य सेवा निवृति की तिथि के पश्चात् स्वीकृत अस्वीकृत अवकाश को छोड़कर, अवकाश काल में;

(5) निलंबन अवधि के दौरान। [मूल नियम 13]

4. कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तरण

अयोग्यता या कदाचरण के कारण अथवा शासकीय सेवक की लिखित सहमति के सिवाय, किसी भी शासकीय सेवक को एक पद से दूसरे पद पर मौलिक रूप से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है अथवा मूल नियम 49 द्वारा आच्छादित मामले के सिवाय, स्थाई पद के वेतन से कम वेतन वाले पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा मूल नियम 14 के अधीन उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार कायम रहता, स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया जा सकता है। [मूल नियम 15]

अत: उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि कदाचरण के कारण या उसकी लिखित सहमति पर निचले पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

5. लगातार अनुपस्थिति का प्रभाव :-

जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अन्यथा निश्चित न करे मूल नियम 18 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।

6. परिवीक्षा काल की समाप्ति पर कार्यवाही

सीधी भरती से नियुक्त जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखा जाए तो निर्धारित परिवीक्षा काल की समाप्ति पर यदि उसने परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है तथा विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली है तो, उसे स्थाई कर देना चाहिए। यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है तो, उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिये कि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है, जैसे ही कोई स्थाई पद उपलब्ध होगा उसे स्थाई घोषित कर दिया जायेगा। इससे उसको वेतन वृद्धियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगी । अन्यथा तब तक वेतन वृद्धियां रुकी रहेंगी। यदि स्थाईकरण नहीं किया गया है, तथा उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है तो, परिवीक्षा काल की समाप्ति पर उसको अस्थाई नियुक्त मान लिया जाएगा तथा उसकी सेवा ''अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा नियम, 1960'' से शासित होगी।

7. वरिष्ठता का निर्धारण

(1) सीधी भर्ती/पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता- (क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पद-ग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उसकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे ।

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं। तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की है।

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था ।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

(ङ) सीधे भर्ती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनकी प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(छ) यदि सीधी भरती पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो पदोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति से वरिष्ठ माने जायेंगे।

(2) स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता-

(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानांतरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिये उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानांतरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जायेगा ।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरम्भ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में ''प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण'' की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियनित किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसके संविलियन की तारीख की जावेगी । तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसकी वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख की जिसकी वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था।

स्पष्टीकरण- तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किये गये अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

(3) विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता -

(क) ऐसे मामले में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो तथा यह भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवक की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होतीं ।

(ख) ऐसे मामलों में कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों की स्थगित करने के लिये की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकेगी ।

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे ।

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि -

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो ।

(4) तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता-

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जायेगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलत: अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी ।

[नियम 12]

विषय- बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012,

उपरोक्त विषयक संदर्भित अधिसूचना के अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के सीधी भरती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती होंगे ।

2. उक्त प्रावधान को सरल (Facilitate) करने के लिए कुछ विभागों के राज्य संवर्ग को जिला संवर्ग में परिवर्तित भी किया गया है। जिला संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण सामान्यत: अन्य जिले में नहीं किया जा सकता है।

3. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 जारी होने के पूर्व से ही विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की संवर्गवार वरिष्ठता सूची, प्रचलित प्रावधानों के अनुसार पूर्व के जिले में ही संधारित की जाएगी एवं उसी वरिष्ठता के आधार पर भविष्य में उनकी पदोन्नति भी होगी तथा प्रशासकीय आधार पर उनका अंतर-जिला स्थानान्तरण भी हो सकेगा। लेकिन उक्त अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 जारी होने के पश्चात् एवं भविष्य

में अन्य संभाग के जिलों से स्थानान्तरित होकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में पदस्थ होने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता, स्थानांतरित नए जिले में उनके संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के ठीक नीचे निर्धारित होगी तथा उनके मामले में अंतरजिला स्थानांतरण प्रतिबंधित करने संबंधी समस्त निर्देश लागू होंगे ।

4. उपरोक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 21-5-2013]

8. शासकीय सेवकों का स्थायीकरण

(अ) **सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों के मामले में**- जिन व्यक्तियों को विभागीय भरती नियमों के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, उन्हें मप्र सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर स्थायी किया जाना अनिवार्य है। परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर उपयुक्त पाये जाने पर, परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायीकरण के आदेश निकालना चाहिए । यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं हो तो उसके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और उन्हें स्थाई पद के अभाव में स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके। भविष्य में जैसे ही स्थाई पद उपलब्ध होगा वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जायगा। यह प्रमाण-पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा ही दिया जायगा।

(ब) **पूर्व से किसी अन्य पद पर स्थाई शासकीय सेवक के मामले में**- कोई व्यक्ति जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाता है तो उस पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यत: दो वर्षो के लिए परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायगा। परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर उसे स्थायी किया जायेगा । परन्तु यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थाई पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा।"

(स) **स्थायीकरण के लिए समिति**- पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन किया जाता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2501/2190/86 (एक)/1, दिनांक 24-9-86 में निर्देश दिये गये हैं। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए जो लोक सेवा आयोग या विभागीय पदोन्नति में अपनाई जाती है।

(द) **गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन**- इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3/4/83/3/1, दिनांक 2-7-83 में दिये गये हैं। इसके अनुसार स्थाईकरण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरान्त, उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

(इ) **लोक सेवा आयोग की सिफारिश कहां आवश्यक हैं**- जो नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिवीक्षा पर की जाती हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी मामलों में लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है। पदोन्नति के मामले में भी जहां आयोग के परामर्श उपरान्त परीक्षण पर रखा गया है, उन्हें छोड़कर, अन्य शेष सभी मामलों में आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[सामान्य प्रशासन विभाग शाप क्रमांक सी-3-10/93/एक दिनांक 16-3-93
तथा समय-समय पर जारी परिपत्र]

9. राज्य विभाजन के फलस्वरूप आपसी अदला-बदली के आधार पर केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन में छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की आवंटित अधिकारियों/ कर्मचरियों की वरिष्ठता का निर्धारण केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकरियों/ कर्मचारियों में कुछ अधिकारी/कर्मचारी आपसी अदला-बदली कर छत्तीसगढ़ राज्य आये हैं। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया ।

इस संबंध में राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि आपसी अदला-बदली के ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी, जो एक ही संवर्ग तथा एक ही विभाग के हों, के छत्तीसगढ़ आने पर उनकी वरिष्ठता मूल संवर्ग में जो वरिष्ठता रही थी उसी अनुसार ही रहेगी, जैसा कि केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन आदेशों के संलग्न सूचियों में भी दर्शायी गई है।

यदि आपसी अदला-बदली अलग-अलग संवर्ग के शासकीय सेवकों की हुई हो तो केन्द्र सरकार के अंतिम रूप से आवंटन आदेश से आये शासकीय सेवकों की नये संवर्ग में वरिष्ठता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (दिनांक 2-4-98 को संशोधित) के नियम 12 अनुसार निर्धारित की जावेगी, अर्थात् इस प्रकार की अदला-बदली से आये शासकीय सेवक नये संवर्ग में दिनांक 1-11-2000 की वरिष्ठता सूची में कनिष्ठतम माने जायेंगे।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-1-3/1-7/2003, दिनांक 1-1-2004]